संख्या– जी–2–20/दस–2011

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 18 जनवरी, 2011

विषयः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति होने पर उनके सामान्य भविष्य निधि का नया खाता कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में आवंटित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–जी–2–116/दस–2005–310/2005, दिनांक 18 फरवरी, 2005 द्वारा तत्समय यह निर्देश दिए गए थे कि पुलिस, राजस्व तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों, जो चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत हुए हैं अथवा तृतीय श्रेणी में कार्यरत हैं, के सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख–रखाव कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद के स्तर पर कराया जाय। किन्तु उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2– अतः इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने से संबंधित आहरण–वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दे दें कि वे ऐसे समस्त तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि का नया खाता कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद से आवंटित करायें एवं उनके चतुर्थ श्रेणी खातों की सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित संबंधित कार्मिक के कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा आवंटित नया खाता संख्या में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें, ताकि अभिदाताओं से संबंधित भविष्य निधि का अंशदान उनके तृतीय श्रेणी संबंधी लेखाओं में जमा हो सके और कार्यालय महालेखाकार के लेखाओं में उपर्युक्त विसंगति के कारण होने वाली अपुस्तांकित अंकन से बचा जा सके।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या जी–2–20(1)/दस–2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उप महालेखाकार/निधि, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद को उनके अ0शा0प0सं0–निधि–37/76, दिनांक 20–7–2010 एवं संख्या अर्धशा0प0सं0–निधि–37/294, दिनांक 31–8–2010 के संदर्भ में।
2– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5– निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
(बी0के0 सिंह)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 146 सा0 वित्त–7.2.2011–(2312)–3000+2 प्रतियां (आफसेट)।